

सेवा में,  
मुख्यमंत्री,  
उत्तर प्रदेश।

संदर्भ में— वेतन विसंगति के संबध में पुर्नस्मारक।

महोदय,

मेरे पति पवन कुमार त्रिपाठी डॉ०ए०पी०जे०अब्दुल कलाम प्राविद्यिक विश्वविद्यालय के अंतर्गत जन संपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत है।वे इस विश्वविद्यालय में 29 जुलाई सन् 2000 से उक्त पद पर कार्य कर रहे है। मार्च 2016 में विनियमित होने के बाद उनका वेतन मान 9300—34800—4600 निर्धारित किया गया। महोदय उस विसंगति के संदर्भ में अवगत कराना है कि जन-संपर्क अधिकारी पद की कार्य-प्रकृति विशेषज्ञता पूर्ण है। केंद्र और प्रदेश के सभी विभागों-विश्वविद्यालयों में जन संपर्क अधिकारी का वेतनमान 15500—39100—5400, अथवा 6600 या 7800 आदि है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में यह 5400 है (संलग्नक)। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह 6600 या 7800 निर्धारित है जबकि वह सभी उसी एक ही कार्य प्रकृति और शैक्षिक योग्यता और मर्यादा की भांति है जिसमें मेरे पति भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। इस तरह देखा जाये तो मेरे पति को प्राप्त होने वाला वेतन प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

आप से निवेदन है कि उनके वेतनमान की विसंगति दूर करते हुए उपरोक्त समान वेतनमान 15500—39100—5400—निर्धारित करवाने की अनुकम्पा करें। जिससे कि उनके अनुभव, कार्य और विश्वविद्यालय के प्रति निष्ठा के साथ न्याय हो सके। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी।

आपकी आज्ञाकारी

(अर्चना त्रिपाठी)

136/9 चर्च रोड विष्णुपुरी

अलीगंज, लखनऊ।